

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

क्रमांक:-प.11(65)आरपीए/प्रशिक्षण/दिव्यांगजन/2022/7339 दिनांक:- 23-11-2022

-::कार्यालय आदेश::-

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 16.01.2023 से 17.01.2023 तक दो दिवसीय "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" विषय पर कोर्स आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स में उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे। निर्देशानुसार उक्त प्रशिक्षण कोर्स सम्बन्धी व्यवस्थायें समय पर सुनिश्चित की जाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री जयदेव सिंह, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर, को कोर्स डायरेक्टर एवं श्री सुन्दर लाल, उप निरीक्षक पुलिस, जयपुर को सहायक कोर्स डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है।
इन कोर्सेज का पर्यवेक्षण का कार्य सहायक निदेशक एसआईसी द्वारा किया जायेगा।

सहायक निदेशक (इण्डोर)
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सहायक निदेशक, (प्रशासन/इण्डोर/आउटडोर/सीडीपीएसएम/सीओई), आरपीए, जयपुर।
2. श्री जयदेव सिंह, पुलिस निरीक्षक, कोर्स डायरेक्टर, आरपीए, जयपुर को भेजकर लेख है कि कोर्स रिपोर्ट उच्चधिकारियों के अनुमोदन पश्चात् आरपीए की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रोग्रामर को उपलब्ध करावें साथ ही प्रशिक्षण मोड्यूल में आमंत्रित अतिथि वक्ताओं के नाम प्रमाणित कर व भुगतान हेतु बैंक विवरण सहित प्रशिक्षण शाखा को उपलब्ध करावें।
3. प्रोग्रामर, आरपीए, जयपुर।
4. संचित निरीक्षक (प्रशासन), आरपीए, जयपुर।
5. श्री सुन्दर लाल, उप निरीक्षक पुलिस,, आरपीए, जयपुर, सहायक कोर्स डायरेक्टर भेजकर लेख है की कोर्स का मॉड्यूल तैयार करवाकर अतिशीघ्र प्रस्तुत करें।
6. निजी सहायक, निदेशक, आरपीए, जयपुर।
7. प्रभारी, सामान्य शाखा, आरपीए, जयपुर।
8. प्रभारी, कौटिल्य सदन/ मरुधर सदन/माही हॉस्टल/बनास हॉस्टल/गंगा हॉस्टल, आरपीए, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड।

सहायक निदेशक (इण्डोर)
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।